BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 21 नवम्बर 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 55,000/- हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जमील पुत्र अली मौहम्मद उर्फ फखरुद्दीन निवासी पुराना मुस्तफाबाद दिलशाद मस्जिद के पास थाना करावल दिल्ली द्वारा वर्ष-2012 में एक महिला की गला काटकर हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-398/2012 धारा-302,201 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 21-11-2022 को मा0 न्यायालय, एडीजे-06 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त जमील को सश्रम आजीवन कारावास व 55,000/- हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गयी।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री राजीव कुमार मलिक एवं श्री अजीत कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर